सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– **879**

05/11/2018

राज्य में 23 जिलों के 206 प्रखण्ड सूखाग्रस्त घोषित

पटना, 05 नवम्बर, 2018 ::– आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, जमीनों में दरार उत्पन्न होने अथवा फसलों में मुरझाने का प्रभाव अथवा उपज में 33 प्रतिशत या उससे अधिक उत्पादन में कमी सम्भावित है को देखते हुए राज्य के 23 प्रभावित जिलों के 206 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

कृषि विभाग के प्रतिवेदनानुसार, पटना जिला के बिक्रम, दनियावां, धनरूआ, दुल्हिन बाजार, मसोढ़ी, नौबतपुर, पालीगंज एवं फुलवारीशरीफ, भोजपुर जिला के बड़हरा एवं शाहपुर, बक्सर जिला के नवानगर, ब्रहमपुर एवं चौगाई, कैमूर जिला के अधौरा, गया जिला के नगर, मानपुर, वजीरगंज, खिजरसराय, फतेहपुर, टनकुप्पा, अतरी, मोहड़ा, बथानी, बेलागंज, कोंच, टेकारी, गुरारू, परैया, गुरूआ, बोधगया, मोहनपुर, बाराचट्टी, डोभी, शेरघाटी, आमस, बॉकेबाजर, इमामगंज एवं डुमरिया, जहानाबाद जिला के मोदनगंज, नवादा जिला के गोविन्दपुर, हिसुआ, काशीचक, कौआकोल, मेसकौर, नवादा, पकरीवरावॉ, रोह, सिरदला एवं वारिसलीगंज, औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद, गोह, रफीगंज, मदनपुर, देव कुटुम्बा एवं नवीनगर, सारण जिला के अमनौर, बनियापुर, छपरा, दरियापुर, दीघवारा, एकमा, गरखा, इसुआपुर, जलालपुर, लहलादपुर, मढ़ौरा, मकेर, मांझी, मशरख, नगरा, पानापुर, परसा,रिविलगंज, सोनपुर एवं तरैया, सिवान जिला के सिवान सदर, पचरूखी, महाराजगंज, भगवानपुरहाट, बसंतपुर, लकड़ीनबीगंज, बड़हरिया, गोरेयाकोठी, दरौंदा, मैंरवा, नौतन, हुसैनगंज, आन्दर, जीरादेई, सिसवन, रघुनाथपुर, दरौली, गुठनी एवं हसनपुरा, गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर, हथुआ, उचकागांव, फुलवरिया, पवंचदेवरी एवं विजयीपुर, मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज एवं पारू, वैशाली जिला के हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, बेलसर, बिदुपुर, महुआ, राजापाकर, पातेपुर, गोरौल, चेहराकला, जन्दाहा, महनार एवं सहदेई, दरभंगा जिला के किरतपुर, हायाघाट, अलीनगर, मनीगाछी, बहेड़ी, जाले, तारडीह, विरौल, बेनीपुर, गौराबौराम एवं घनश्यामपुर, मधुबनी रहिका, पंडौल, राजनगर, कलुआही, खजौली, बाबूवरही, जयनगर,

बासोपट्टी, हरलाखी, विस्फी, झंझारपुर, मधेपुरा एवं अंधराठाढ़ी, समस्तीपुर जिला के वारिसनगर, बिथान, खानपुर, मोरवा, पटोरी, समस्तीपुर, सरायरंजन, शिवाजीनगर, सिंघिया, ताजपुर, उजियारपुर एवं विभूतीपुर, मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर, शेखपुरा जिला के अरियरी, बरबीघा, घाट कुशुम्बा, चेवाड़ा, शेखपुरा एवं शेखोपुरसराय, जमुई जिला के अलीगंज, बरहट, चकाई, गिद्धौर, जमुई, झाझा, खैरा, लक्ष्मीपुर, सिकंदरा एवं सोनो, भागलपुर जिला के सबौर, सन्हौला, शाहकुंड, सुलतानगंज, नाथनगर, जगदीशपुर एवं गौराडीह, बाँका जिला के अमरपुर, बौंसी, बेलहर, चांदन, धौंरैया, फुल्लीडुमर एवं कटौरिया, नालन्दा जिला के बेन, चण्डी, एकंगरसराय, गिरियक, हिलसा, इस्लामपुर, करायपरसुराय, कतरीसराय, परबलपुर, सिलाव एवं थरथरी तथा सहरसा जिला के कहरा, सौरबाजार, सोनवर्षा, सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर, नवहट्टा, पतरघट, बनमा ईटहरी, सत्तरकटैया एवं महिषी प्रखण्ड सूखाग्रस्त घोषित है।

अधिसूचित आलोक में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए स्थगित रहेगी। साथ ही धान की रोपनी को बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा 5 पटवन के लिए डीजल अनुदान दिया जा रहा हैं। इसी प्रकार नहरों से भी अंतिम छोर तक सिंचाई उपलब्ध कराते हुए जलाशयों में सुलभ संचित जल से भी सिंचाई का प्रबंध कराया गया है। इस क्रम में राजकीय एवं निजी नलकूपों के द्वारा भी सिंचाई कराई जा रही है तथा कृषि उपयोग हेतु बिजली की भी निर्बाध आपूर्ति की जा रही है।

————————